रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246] नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 1987/ज्येष्ठ 11, 1909
No. 246] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 1987/JYAISTHA 11, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 1 जून 1987

अधिसूचना

का. आ. 541 (अ):—केन्द्रीय सरकार, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का 74) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जून 1987 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[फाइल सं. 38/5/86-सी एल V]
वी. के. मजोत्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 1st June, 1987

NOTIFICATION

S.O. 541 (E) .—In exercise of the powers conferred by sub-section, (2) of section 1 of the Monopolies and Restrictive Trade, Practices (Amendment) Act, 1986 (74 of 1986), the Central Government hereby appoints the 1st day of June, 1987 as the date on which the said Act shall come into force.

[File No. 38|5|86-CL.V]

V. K. MAJOTRA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987